CANCELLED
COURT FEE INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल कैम्प सागर म०प्र०

उमेश राठौर तनय श्री परसोत्तम राठौर,
निवासी सदर बाजार सागर थाना केन्ट तह. व जि. सागर म० प्र०

निगरानी-3301/2018/सागर/भू०रा०

---- आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

॥ बिरूद्ध ॥

B.O.R.
22 MAY 2018

अविनाश मोहन दुबे तनय श्री सुरेन्द्र मोहन दुबे
निवासी 52- रविशंकर वार्ड सागर तह. व जि. सागर म० प्र०

--- उत्तरवादी

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रा० सं०

पुनरीक्षण कर्ता माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर महोदय जिला सागर संभाग सागर द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 869/बी/121-वर्ष 2016-17 ग्राम रजाखेड़ी सागर तह. व जिला सागर में आदेश दि. 19-4-2018 से परिवेदित होकर नीचे लिखे तथ्यो के अतिरिक्त आधार पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है:-

88
22/05/18

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1- यह कि यदि उत्तरवादी अविनाश मोहन ने दि. 27-7-2013 को कब्जा हटाने बाबत् आवेदन पत्र माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, सागर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें उसने आवेदक/पुनरीक्षण कर्ता एवं शान्ता हयानि को पक्षकार बनाया था. उक्त आवेदन में यह बताया गया था कि खसरा नम्बर 239,/13 में से 15/40 कुल वर्गफिट 600 उत्तरवादी के नाम से दर्ज है आवेदक के प्लाट पर अनावेदक गण जबरन कब्जा कर. मकान बनाया है जो अनावेदक ने जबरन कब्जा किया है उसको हटाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था ।

2- यह कि पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक ने उक्त प्रकरण में अपना जबाव

//2//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3301/2018/सागर/भूरा. संशोधित आदेश।

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-06-2018	आवेदक की ओर से श्री दयाशंकर तिवारी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक अविनाश मोहन दुबे स्वयं उपस्थित । उभय पक्ष द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-04-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के द्वारा दिया गया आदेश निम्नानुसार है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर अविनाश मोहन दुबे द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है । अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/05/2017 एवं नायब तहसीलदार वृत 02 सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/12/2015 निरस्त किये जाते है । तहसीलदार सागर को आदेशित किया जाता है कि स्वयं स्थल निरीक्षण करके, अविनाश मोहन दुबे के विक्रय पत्र दिनांक 07/05/2002 में दर्शित सीमाओं का मिलान स्थल से करके वादग्रस्त प्लाट पर अविनाश मोहन दुबे को विधिवत कब्जा दिलावें । मेरे बोलने पर टंकित, आदेश की एक प्रति सहित अभिलेख आदेश के पालनार्थ वापिस भेजा जावे । संबधित सूचित होकर यह प्रकरण संचित अभिलेखागार हो । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जातीं है । सदस्य 15/6/18	